261

निग/2995/I/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट बैंच जबलपुर

देवेन्द्र गिर आत्मज ईश्वर गिर
निवासी ग्राम सहजपुरा तहसील व जिला नरसिंहपुर .... आवेदक

विरूद्ध

1. मोहनी बाई पति स्व. ईश्वर गिर उम्र लगभग 62 वर्ष
निवासी ग्राम सहजपुरा, तहसील व जिला नरसिंहपुर
हाल मुकाम – ग्राम माक्षा तहसील सुहागपुर, जिला होशंगाबाद
2. पुष्पाबाई पति प्रेमवन गोस्वामी उम्र लगभग 41 वर्ष
निवासी – ग्राम – माक्षा तहसील सुहागपुर जिला होशंगाबाद
3. रूपाबाई पति कुंदनगिर उम्र लगभग 38 वर्ष
निवासी – ग्राम खमरिया, तहसील लखनादौन
जिला सिवनी ..... अपीलार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 59

आवेदक वर्तमान निगरानी राजस्व अपील क्रमांक अ/6 सन् 2013–14 श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा धारा 5 समयावधि अधिनियम एवं धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता के आवेदन पत्र पर जबाब प्राप्त किये बिना एक पक्षीय तर्क सुने जाकर आदेश दिनांक 02.07.2015 में विलम्ब स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश पारित कर अपील अंतिम तर्क हेतु नियत किये जाने से पीड़ित होकर निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

1. यह कि अनोवदकगण द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 1/9 आदेश दिनांक 06.02.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई तथा धारा 5 समयावधि अधिनियम के आवेदन से जानकारी दिनांक 18.05.2014 में होना बताया एवं नकल दिनांक 30.05.2014 एवं 03.06.2014 में प्राप्त होने पर अपील दिनांक 17.06.2014 में प्रस्तुती दिनांक तक हुए विलम्ब माफी चाही गई , जिसमें आवेदक उपस्थित हुए तथा धारा 5 समयावधि अधिनियम के आवेदन पर जबाब हेतु प्रकरण लगाया गया तथा लगातार पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने बढ़ाया गया था । परंतु अचानक पेशी दिनांक 02.07.2015 में अपीलार्थी/आवेदकगण अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा धारा 5 समयावधि अधिनियम एवं धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता के आवेदन पत्रों पर जबाब प्राप्त बिना सुना गया तथा अपील स्वीकार की जाती है तथा विवादित भूमि के विक्रय पर रोक लगाई जाती है के आदेश पारित किये गये तथा अपील अंतिम तर्क हेतु लगा दी गई । इससे पीड़ित होकर निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

आधार

2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत है ।

3. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब मामला पेशी दिनांक 13.10.2014 में धारा 5 एवं धारा 52 के जबाब हेतु पेशी दिनांक 20.10.2014 को लगाया गया था तथा उसके उपरांत अपील में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण बढ़ाया जाता रहा है एवं अपील जबाब एवं तर्क हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा नियत ही नहीं की गई परंतु अचानक दिनांक 02.07.2015 में

.... 2 ....

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2995–एक/15

जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 29/अ–6/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2–7–15 से व्यथित होकर पेश की गई है । जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने विकय पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । 2/ प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई दिनांक 24–8–16 को 10 दिवस में लिखित बहस पेश करने हेतु समय दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गइ है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आलोच्य आदेश द्वारा विलंब क्षमा करने व स्थगन देने के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे अपील स्वीकार करने का उल्लेख किया है परंतु विलंब क्षमा करने का क्या आधार है इसका कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया है । उनका आदेश बोलते हुए आदेश की परिभाषा में नहीं आता है इस कारण उक्त आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है । 4/ जहां तक स्थगन का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय केवल 3	

R. 2995-E/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

माह तक स्थगन दे सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में उन्होंने अग्रिम आदेश तक स्थगन दिया है जो विधि विरूद्ध है । इस कारण भी उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

परिणामतः आलोच्य आदेश दिनांक 2–7–15 निरस्त करते हुए पुनः विधिवत सुनवाई कर आधार सहित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य